पत्रांक- 823/कौ०वि०मि०/2025

निदेशालय: उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

परिसर: राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज, लखनऊ

दिनांक- 19 सितम्बर, 2025

सेवा में,

समस्त सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
अलीगंज, लखनऊ

विषय: माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु "प्रोजेक्ट प्रवीण" के अन्तर्गत लक्ष्य आवंटन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु मिशन में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को "प्रोजेक्ट प्रवीण" के अन्तर्गत लक्ष्य आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में मिशन में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि जो प्रशिक्षण प्रदाता "प्रोजेक्ट प्रवीण" के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण संचालन हेतु इच्छुक है वे अपना अनुरोध प्रत्येक दशा में दिनांक- 24 सितम्बर, 2025 तक तक अपनी टी0पी0 लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सर्व प्रथम उ0प्र0कौशल विकास मिशन की बेबसाइट **www.upsdm.gov.in** पर अपनी टी0पी0 लॉगिन के माध्यम से अनुरोध हेतु सर्व प्रथम प्राथमिकता के आधार पर जनपद का चयन तत्पश्चात विद्यालय, सेक्टर का चयन किया जायेगा, इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निम्नलिखित विन्दु के अनुसार लक्ष्य आवंटन हेतु अनुरोध किया जा सकेगा –

1- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अधिकतम् 5 जनपदों में ही आवेदन किया जा सकता है।
2- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित जनपद के समस्त विद्यालयों में लक्ष्यावंटन हेतु अनुरोध किए जाने की छूट प्रदान होगी।
3- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में अंकित सेक्टर में ही आवेदन किया जायेगा तथा जांबरोल का आवंटन विद्यालय के विद्यार्थियों के मांग के आधार पर मिशन स्तर से किया जायेगा।
4- मिशन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष बैच में प्रशिक्षणार्थियो की की संख्या का निर्धारण मिशन स्तर से लक्ष्यावंटन आदेश में किया जायेगा।
5- समस्त जनपदों व चयनित किये गये विद्यालयों की प्रविष्टि को DSC के माध्यम से Lock किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किये गये आवेदन यथा जनपद, विद्यालय, सेक्टर व जॉबरोल आवंटन हेतु अंतिम निणर्य उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा लिया जायेगा।

अतः प्रविष्टि को सावधानीपूर्वक भरें और पुनः परीक्षण कर ही Lock करें।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यावंटन हेतु अनुरोध प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवे अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास औरा उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. सहायक प्रबन्धक, आई0टी0 प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर व्यवस्था करते हुए आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

पत्रांक- 823/कौ०वि०मि०/2025

निदेशालय: उ0प्र0 कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

परिसर: राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज, लखनऊ

दिनांक- 19 सितम्बर, 2025

सेवा में,

समस्त सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
अलीगंज, लखनऊ

विषय: माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु ''प्रोजेक्ट प्रवीण'' के अन्तर्गत लक्ष्य आवंटन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु मिशन में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को ''प्रोजेक्ट प्रवीण'' के अन्तर्गत लक्ष्य आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में मिशन में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि जो प्रशिक्षण प्रदाता ''प्रोजेक्ट प्रवीण'' के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण संचालन हेतु इच्छुक है वे अपना अनुरोध प्रत्येक दशा में दिनांक- 24 सितम्बर, 2025 तक तक अपनी टी0पी0 लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सर्व प्रथम उ0प्र0कौशल विकास मिशन की बेबसाइट **www.upsdm.gov.in** पर अपनी टी0पी0 लॉगिन के माध्यम से अनुरोध हेतु सर्व प्रथम प्राथमिकता के आधार पर जनपद का चयन तत्पश्चात विद्यालय, सेक्टर का चयन किया जायेगा, इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निम्नलिखित विन्दु के अनुसार लक्ष्य आवंटन हेतु अनुरोध किया जा सकेगा –

1- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अधिकतम् 5 जनपदों में ही आवेदन किया जा सकता है।
2- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित जनपद के समस्त विद्यालयों में लक्ष्यावंटन हेतु अनुरोध किए जाने की छूट प्रदान होगी।
3- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में अंकित सेक्टर में ही आवेदन किया जायेगा तथा जांबरोल का आवंटन विद्यालय के विद्यार्थियों के मांग के आधार पर मिशन स्तर से किया जायेगा।
4- मिशन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष बैच में प्रशिक्षणार्थियो की की संख्या का निर्धारण मिशन स्तर से लक्ष्यावंटन आदेश में किया जायेगा।
5- समस्त जनपदों व चयनित किये गये विद्यालयों की प्रविष्टि को DSC के माध्यम से Lock किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6- प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किये गये आवेदन यथा जनपद, विद्यालय, सेक्टर व जॉबरोल आवंटन हेतु अंतिम निणर्य उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा लिया जायेगा।

अतः प्रविष्टि को सावधानीपूर्वक भरें और पुनः परीक्षण कर ही Lock करें।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यावंटन हेतु अनुरोध प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास औरा उद्यमशीलता विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ०प्र० कौशल विकास मिशन।
4. सहायक प्रबन्धक, आई०टी० प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर व्यवस्था करते हुए आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

(पुलकित खरे)
मिशन निदेशक